

[2024] 2 एस.सी.आर. 668 : 2024 आईएनएससी 128

राम सिंह

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 206/2024)

21 फरवरी 2024

[न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भूयान]

विचारार्थ मुद्दा

पीडब्लू-1-सूचनादाता (मृतक का बेटा) के अनुसार, उस मनहूस शाम को जब वह और उसका भाई अपने घर के प्रवेश द्वार के सामने खुली जगह पर बैठे थे, उसकी माँ पास ही एक खाट पर बैठी थी और कुछ पड़ोसी भी दूसरी खाट पर बैठे थे, अपीलकर्ता सह-अभियुक्तों के साथ आया था, जिनके कहने पर उसने पीडब्लू-1 पर गोली चलाई, लेकिन वह खाट से नीचे फिसल गया और गोली उसकी माँ को लगी, जिनकी तुरंत मृत्यु हो गई। जबकि सह-अभियुक्त को उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर बरी कर दिया गया था, क्या अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 301 संपठित 302, धारा 307 के तहत दोषी ठहराया जाना और उसकी सजा उचित थी, जबकि अपराध के हथियार की कोई बरामदगी नहीं हुई थी, बैलिस्टिक विशेषज्ञ की जांच नहीं की गई थी।

हेडनोट्स

साक्ष्य – अपराध के हथियार की बरामदगी न होना – बैलिस्टिक राय प्राप्त न होना और बैलिस्टिक विशेषज्ञ की जांच न होना – जब घातक हो:

अवधारित किया गया: अपराध के हथियार की बरामदगी न होना अभियोजन मामले के लिए घातक नहीं होगा – जब ऐसी कोई बरामदगी नहीं होती है, तो जांच के दौरान जब्त किए गए खाली कारतूसों और छरों को अपराध में कथित रूप से इस्तेमाल किए गए हथियार से जोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता – बैलिस्टिक रिपोर्ट प्राप्त करना और बैलिस्टिक विशेषज्ञ की जांच एक अनम्य नियम नहीं है – जब प्रत्यक्ष चश्मदीद गवाह का बयान विश्वसनीय पाया जाता है, तो बैलिस्टिक रिपोर्ट प्राप्त करने में चूक और बैलिस्टिक विशेषज्ञ की जांच न करना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं हो सकता है, लेकिन यदि चश्मदीद गवाहों सहित प्रस्तुत साक्ष्य विश्वास पैदा नहीं करते हैं या स्पष्ट असंगतियों से ग्रस्त हैं, साथ ही महत्वपूर्ण गवाहों की जांच करने में चूक होती है, तो बैलिस्टिक राय लेने और बैलिस्टिक विशेषज्ञ की जांच करने में चूक घातक हो सकती है – वर्तमान मामले में, चश्मदीदों के साक्ष्य गंभीर खामियों से ग्रस्त हैं और उन्हें विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता – इसके अलावा, महत्वपूर्ण गवाहों की जांच नहीं की गई – इस प्रकार, अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को पूर्ण प्रमाण नहीं कहा जा सकता है, यहां तक कि मुख्य भौतिक साक्ष्य अर्थात् अपराध के हथियार की बरामदगी न होना, बैलिस्टिक राय न प्राप्त करना और बैलिस्टिक विशेषज्ञ की जांच न करना भी महत्वहीन होगा – अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के विरुद्ध सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे आरोप साबित नहीं कर सका – इसके अलावा, उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर, ट्रायल कोर्ट ने सह-अभियुक्त को संदेह का लाभ मुख्य रूप से इस आधार पर दिया कि अभियुक्त

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

और पीडब्लू-1 के बीच दुश्मनी थी- अपीलकर्ता को संदेह का लाभ दिया गया - दोषसिद्धि और सजा अपास्त - ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया गया। [पैरा 29, 30, 33 और 34]

साक्ष्य - साक्ष्य का एक ही समूह - एक आरोपी को दोषी ठहराना और दूसरे को बरी करना - अस्वीकार्यता:

अवधारित किया गया: जब दो अभियुक्तों के विरुद्ध प्रत्यक्षदर्शियों के समान या एक जैसे साक्ष्य हों, तो उन्हें एक जैसी या समान भूमिका बताकर न्यायालय एक अभियुक्त को दोषी नहीं ठहरा सकता और दूसरे को बरी नहीं कर सकता - किसी भी अभियुक्त के अपराध में शामिल होने के बारे में यदि संदेह बना रहता है, तो न्यायालय को इस पर विचार करना चाहिए और ऐसी स्थिति में अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए -यह तब और अधिक होता है जब सह-अभियुक्त को उसी साक्ष्य के आधार पर निचली अदालत द्वारा बरी कर दिया जाता है। [पैरा 32,33]

केस कानून उद्धृत किया गया

जावेद शौकत अली कुरैशी बनाम गुजरात राज्य, [2023] 12 एससीआर 220 : (2023) 9 एससीसी 164; मुन्ना लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, [2023] 3 एससीआर 224 : (2023) एससीसी ऑनलाइन एससी 80; गुरुचरण सिंह बनाम पंजाब राज्य, [1963] 3 एससीआर 585 : एआईआर 1963 एससी 340; सुखवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य, [1995] 2 एससीआर 1190 : (1995) 3 एससीसी 367; पंजाब राज्य बनाम जुगराज सिंह, [2002] 1 एससीआर 998 : (2002) 3 एससीसी 234; गुलाब बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, [2021] 9 एससीआर 678 : (2022) 12 एससीसी 677; प्रीतिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य, [2023] 10 एससीआर 1033 : (2023) 7 एससीसी 727 मामलों पर अवलम्ब लिया गया।

अधिनियमों की सूची

दंड संहिता, 1860

कीवर्ड की सूची

अपराध के हथियार की बरामदगी न होना; बैलिस्टिक विशेषज्ञ की जांच न होना; बैलिस्टिक राय; बैलिस्टिक राय न प्राप्त करना; बंदूक की गोली से चोट; युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं हुआ; स्पष्ट विसंगतियाँ; चश्मदीनों के साक्ष्य विश्वसनीय नहीं; भौतिक गवाह; सबूतों का एक ही समूह; संदेह का लाभ।

से उत्पन्न मामला

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 206/2024

आपराधिक अपील संख्या 1611/1983 में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय और आदेश दिनांक 05.02.2018 से

पक्षकारों के लिए उपस्थिति

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्तागण प्रदीप कुमार माथुर, चिरंजीव जौहरी, चंद्रा नंद झा, एम.के. तिवारी, सीतेश कुमार, अरविन्द कुमार।

प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता राणा मुखर्जी, अधिवक्तागण समर्थ मोहंती, अंकित गोयल।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

न्यायमूर्ति उज्जल भूयान

यह अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील संख्या 1611/1983 में पारित दिनांक 05.02.2018 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध है, जिसमें अपर सत्र न्यायाधीश, गैर-महानगरीय क्षेत्र, कानपुर द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 297/1982 में अपीलकर्ता पर लगाई गई सजा और दोषसिद्धि की पुष्टि की गई है।

2. सत्र परीक्षण में, अपीलकर्ता राम सिंह को भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 302 सपठित धारा 301 के तहत दोषी ठहराया गया था। उन्हें आईपीसी की धारा 307 के तहत भी दोषी ठहराया गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 301/302 के तहत अपराध के लिए अपीलकर्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत अपराध के लिए अपीलकर्ता को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई, दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।

2.1. जैसा कि ऊपर देखा गया है, अपीलकर्ता द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय (संक्षेप में 'उच्च न्यायालय') के समक्ष दायर अपील खारिज कर दी गई थी। परिणामस्वरूप, सत्र न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को अधिरोपित की गई सजा और दोषसिद्धि को उच्च न्यायालय द्वारा भी बरकरार रखा गया।

अभियोजन मामला

3. पीडब्लू-1 श्री राधे लाल ने दिनांक 19.08.1982 को मध्य रात्रि में भोगनीपुर थाना, जिला कानपुर (उ.प्र.) में प्रथम सूचना दर्ज कराई कि वह और उसका भाई देश राज शाम के समय अपने घर के प्रवेश द्वार के सामने खुले स्थान पर बैठे थे। उनकी मां दुल्ली पास ही चारपाई पर बैठी थी। दूसरी चारपाई पर पड़ोसी लाला राम यानी पीडब्लू-3 और मान सिंह यानी पीडब्लू-2 बैठे थे। वे अपने घर की छत पर लटकती हुई लालटेन की रोशनी में बातें कर रहे थे। सूचनादाता के अनुसार, रात लगभग 08:00 बजे, अपीलकर्ता राम सिंह लाला राम के साथ उनके आवास पर आये। उन्होंने बताया कि वे दोनों उनके गांव के ही रहने वाले थे। राम सिंह ने अपने दाहिने हाथ में देशी कट्टा पकड़ रखा था। प्रथम सूचना के अनुसार लाला राम ने जोर-जोर से यह कह कर राम सिंह को उकसाया था कि ये लोग अशांति फैला रहे हैं; इसलिए उन्हें जान से मार दो। राम सिंह ने सूचनादाता पर गोली चलाई लेकिन वह चारपाई से नीचे फिसल गया। गोली उसकी मां दुल्ली के बाएं सीने में लगी और वह जोर-जोर से हाय मर गयी चिल्लाने लगी। सूचनादाता के मुताबिक वे भी रोने लगे। राम सिंह और लाला राम उत्तर की ओर भाग गये। गोली लगने से माँ की तुरंत मृत्यु हो गई। सूचनादाता ने बताया कि घटना को उसके भाई देशराज और उसके पड़ोसी लाला राम और मान सिंह ने लालटेन की रोशनी में देखा था। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास रहने वाले कई लोग आ गए। उन्होंने आरोपी को भागते हुए देखा था। मां बिस्तर पर मृत पड़ी थी। सूचनादाता ने आगे कहा कि लगभग डेढ़ महीने पहले, उनके बेटे बाण सिंह और अपीलकर्ता राम सिंह के बीच हाथापाई हुई थी, जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस स्टेशन को दी गई थी। लाला राम और राम सिंह एक ही पार्टी के हैं। इस कारण वे उसके घर के दरवाजे पर आये तभी लाला राम के उकसाने पर राम सिंह ने गोली चला दी, जिससे उसकी मां दुल्ली की मौत हो गयी।

3.1. सूचनादाता द्वारा बताई गई प्रथम सूचना, पीडब्लू 1 के एक अन्य भाई, मुंशी सुंदर लाल द्वारा लिखी गई थी। उक्त प्रथम सूचना एफआईआर संख्या 252/1982 के रूप में दर्ज की गई थी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. पुलिस ने अपराध की जांच की और जांच पूरी होने पर अपीलकर्ता राम सिंह पर आईपीसी की धारा 301 और 302 के साथ-साथ धारा 307/34 आईपीसी के तहत अपराध करने का आरोप लगाते हुए आरोप पत्र प्रस्तुत किया। वहीं सह अभियुक्त लाला राम पर आईपीसी की धारा 307/34 के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया।

4.1. अपना मामला साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने छह गवाहों से पूछताछ की। रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों और सामग्रियों पर विचार करने के बाद, सत्र न्यायालय ने अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 301 के साथ आईपीसी की धारा 302 और आईपीसी की धारा 307 के तहत दोषी ठहराया। हालाँकि, अन्य आरोपी लाला राम को संदेह का लाभ दिया गया और तदनुसार बरी कर दिया गया।

4.2. इस स्तर पर, हम उल्लेख कर सकते हैं कि इस मामले में दो लाला राम हैं। एक लाला राम, प्रहलाद सिंह का बेटा है जो पीडब्लू-3 है और दूसरा लाला राम, धन्ना राम यादव का बेटा है जिसे आरोपी नंबर 2 के रूप में नामित किया गया था और विचारण न्यायालय ने बरी कर दिया था।

5. जैसा कि ऊपर देखा गया, विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को आईपीसी के उपरोक्त प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया और तदनुसार सजा सुनाई। सह अभियुक्त धन्ना राम यादव के पुत्र लाला राम को बरी कर दिया गया। अपीलकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपील खारिज कर दी गई। नतीजतन, उनकी दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की गई।

प्रस्तुतियाँ

6. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही में भारी विरोधाभास हैं। तथाकथित प्रत्यक्षदर्शी कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे। बल्कि, वे अपीलकर्ता के साथ पूर्व राजनीतिक शत्रुता रखने वाले इच्छुक गवाह थे। ऐसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण ही अपीलकर्ता को मामले में झूठा फंसाया गया।

6.1. उन्होंने आगे कहा कि न केवल अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान में स्पष्ट विसंगतियाँ हैं; बल्कि महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ नहीं की गई है। यहां तक कि अपीलकर्ता द्वारा कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया देशी कट्टा भी बरामद नहीं किया गया। घटनास्थल पर पाए गए और मृतका के शरीर से निकाले गए छरों को बैलिस्टिक जांच के लिए नहीं भेजा गया था। अपीलकर्ता द्वारा कथित तौर पर इस्तेमाल किये गए कट्टे से छरों को जोड़ने वाली किसी भी बैलिस्टिक रिपोर्ट के अभाव में, उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। इसलिए विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराने में गलती की।

6.2. विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि यह सच है कि दिनांक 16.07.2018 को, इस न्यायालय ने केवल आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि को आईपीसी की धारा 304 में परिवर्तित करने के प्रश्न पर तथा जमानत प्रदान करने की प्रार्थना पर नोटिस जारी किया था, फिर भी, उन्होंने दिनांक 31.10.2023 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था कि वे बरी किए जाने के लिए भी बहस करेंगे।

6.3. उन्होंने आगे कहा कि विचारण न्यायालय ने एक ओर अपीलकर्ता को दोषी ठहराने और दूसरी ओर सह-अभियुक्त लाला राम को बरी करने में मौलिक त्रुटि की है। दोनों के खिलाफ सबूत एक जैसे थे। जब उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर सह-अभियुक्त को बरी कर दिया गया तो विचारण न्यायालय को अपीलकर्ता को भी बरी कर देना चाहिए था। इस पहलू को उच्च न्यायालय ने नजरअंदाज कर दिया। अपने तर्क के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जावेद शौकत अली कुरैशी बनाम गुजरात राज्य, (2023) 9 एससीसी 164 में इस न्यायालय के निर्णय पर अवलम्ब लिया है।

6.4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह है कि अपीलकर्ता के अपराध को निर्णायक रूप से साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है। बल्कि यह बिना सबूत का मामला है। इसलिए, अपीलकर्ता बरी होने का हकदार है। विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय के आदेशों को रद्द किया जाना चाहिए।

7. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी-राज्य के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलकर्ता के खिलाफ सबूतों को ध्यान में रखते हुए, सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने अपीलकर्ता को सही दोषी ठहराया था। प्रत्यक्ष साक्ष्य स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता द्वारा गोली चलाने के सकारात्मक कृत्य की ओर इशारा करते हैं, जिसमें पीडब्लू-1 की मां दुल्ली की मौत हो गई। हत्या की वीभत्स प्रकृति और अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही को देखते हुए, अपीलकर्ता की दोषसिद्धि पूरी तरह से उचित है। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की आपराधिक अपील को सही ढंग से खारिज कर दिया था। हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है।

8. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई दलीलों पर न्यायालय ने उचित विचार किया है।

साक्ष्य: मूल्यांकन और विश्लेषण

9. पीडब्लू-1, जो प्रथम सूचनादाता और मृतका का बेटा है, ने अपने साक्ष्य में कहा कि वे तीन भाई हैं: देश राज, सुंदर लाल और वह स्वयं, वह सबसे छोटा है। वह अपनी माँ के साथ अपने गाँव में रहता था जहाँ उसकी माँ की संपत्ति थी। उसी गांव में उसके मामा भी रहते थे। दोनों आरोपी उसी के गांव के रहने वाले थे और एक ही समुदाय के थे। उन्होंने बताया कि ग्राम प्रधान के चुनाव को लेकर उनकी आरोपी राम सिंह से दुश्मनी थी। उस चुनाव में आरोपी राम सिंह की पत्नी उम्मीदवार थी। राम सिंह के संबंध आरोपी लाला राम से भी थे। पीडब्लू-1 ने कहा कि उसने उस उम्मीदवार को वोट दिया था जो राम सिंह की पत्नी के खिलाफ खड़ा था। उस चुनाव में राम सिंह की पत्नी हार गई थी और इस सिलसिले में पीडब्लू-1 यानी बाण सिंह के बेटे और आरोपी राम सिंह के बीच झगड़ा हो गया था, जिसके संबंध में एफआईआर और प्रति एफआईआर दर्ज की गई थी। मुकदमे चल रहे थे। आरोपी लाला राम राम सिंह के मामले में गवाह के रूप में गवाही दे रहा था। यह घटना मौजूदा घटना से करीब डेढ़ महीने पहले घटी थी। उनके मुताबिक, शाम करीब आठ बजे का समय था जब वह अपने दरवाजे पर बैठे थे। उसकी मां दुल्ली चारपाई पर बैठी थी। छत पर लटकी लालटेन से वह स्थान जगमगा रहा था। दोनों आरोपी उत्तर दिशा से आये थे। अभियुक्त लाला राम ने पीडब्लू-1 को यह कहकर चुनौती दी कि वह बहुत उत्पात मचा रहा है और इसलिए उसे मार दिया जाना चाहिए। राम सिंह ने अपने पास मौजूद देशी कट्टे से गोली चलाई। गोली पीडब्लू-1 को लगने के बजाय उसकी माँ को लगी जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद दोनों आरोपी भाग गए। इस घटना के बाद, पीडब्लू-1, पीडब्लू 2 मान सिंह के साथ भोगनीपुर पुलिस स्टेशन गया और रास्ते में अपने भाई सुंदर लाल, मुंशी को सूचित किया, जिसने पहली सूचना लिखी, जिसे पीडब्लू-1 पुलिस स्टेशन ले गया।

9.1. अपनी जिरह में उसने कहा कि आरोपी लाला राम अपने बेटे के खिलाफ मामले में गवाह था। उसने बताया कि जिस आंगन में मृतका बैठी थी, उससे लगभग 3-4 कदम उत्तर की ओर ईंटों का ढेर था। मृतका चारपाई के उत्तरी किनारे पर बैठी थी जबकि पीडब्लू-1 और उसका भाई देश राज चारपाई के दूसरे छोर पर बैठे थे। उसने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कहा कि जब राम सिंह ने उस पर गोली चलाई तो वह चारपाई से नीचे झुक गया और उसका भाई भी। वह यह नहीं देख सका कि पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 मुड़े थे या नहीं। पीडब्लू-1 के कथानक के अनुसार, पहली बंदूक की गोली उसे नहीं लगी। दूसरी गोली उन पर या उनके भाई पर नहीं चलाई गई क्योंकि उनकी मां की पहली गोली में ही मौत हो गई थी। आरोपी राम सिंह अपनी मां की चारपाई से तीन कदम की दूरी पर था। उनकी चीख-पुकार सुनकर कई ग्रामीण घटनास्थल पर आ गये। इस पर दोनों आरोपी भाग गए। हालांकि, उन्होंने कहा कि वह यह नहीं बता सकते कि किसी ग्रामीण ने आरोपी को भागते हुए देखा था या नहीं, क्योंकि किसी ग्रामीण ने उन्हें ऐसा नहीं बताया।

9.2. जिरह में यह भी पता चला कि मृतका दुल्ली पीडब्लू-1 के भाई यानी देश राज के साथ रहती थी, जिसका घर पीडब्लू-1 के घर के पीछे था। दूसरे भाई का घर भी पास में ही था। उस मनहूस शाम को, हालाँकि रात का खाना खा लिया गया था, मृतका ने खाना नहीं खाया था। जब वे आँगन में बातचीत कर रहे थे, उसकी माँ चारपाई पर चुपचाप बैठी थी और वह उस बातचीत में शामिल नहीं थी। इस बार उसने कहा कि गोली लगने के समय वह और उनका भाई फर्श पर बैठा था। हालाँकि गोली चलने के समय वह नीचे झुक गया था, लेकिन कोई भी चारपाई के नीचे नहीं आया। गोली लगते ही माँ चारपाई पर गिर पड़ी थी। वह बैठकर रोया था लेकिन अपनी माँ को गले नहीं लगाया था। वह अपने भाई सुंदर लाल के होटल में गया था, जहाँ प्रथम सूचना लिखी गई थी, लेकिन उसका भाई सुंदर लाल उसके साथ थाने नहीं गया।

9.3. उन्होंने इस सुझाव से इनकार किया कि यह व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण झूठा मामला था; कि देश राज के घर में मृतका के साथ चारपाई पर देश राज व अन्य लोग बैठे थे और देशी कट्टे की जांच करते समय गलती से गोली चल गयी।

10. पीडब्लू-2 मान सिंह ने बताया कि मृतका आंगन में चारपाई पर बैठी थी। देशराज और पीडब्लू-1 चारपाई के पास फर्श पर बैठे थे। आरोपी लाला राम ने आरोपी राम सिंह को यह कहकर उकसाया था कि पीडब्लू-1 परेशान कर रहा है और उसे मार दिया जाना चाहिए। इस पर, आरोपी राम सिंह 2-3 कदम चला और अपने देशी कट्टे से गोली चला दी, लेकिन पीडब्लू-1 को गोली लगने के बजाय, उसकी माँ को गोली लग गई और उसकी मृत्यु हो गई।

10.1. अपनी जिरह में, पीडब्लू-2 ने कहा कि मृतका एक चारपाई पर बैठी थी जबकि पीडब्लू-1 और उसका भाई देश राज चारपाई के पश्चिम की ओर फर्श पर बैठे थे। उसने लालटेन की रोशनी में आरोपी को देखा। हालाँकि लाला राम ने राम सिंह को उकसाया था, लेकिन वह चारपाई से नहीं उठा और बैठा रहा। जब गोली चलाई गई तो देश राज और राधे लाल (पीडब्लू-1) खड़े हो गए। गोली लगने के बाद वह मृतका को देखने के लिए नहीं भागा। उसे 2-3 कदम की दूरी से गोली मारी गई थी।

11. प्रहलाद सिंह के पुत्र पीडब्लू-3 लाला राम ने कहा कि घटना की तारीख पर प्रासंगिक समय पर, वह और मान सिंह पीडब्लू-2 एक ही चारपाई पर बैठे थे। दुल्ली बिस्तर पर बैठी थी। देशराज और राधे लाल एक-डेढ़ गज की दूरी पर फर्श पर बैठे थे। दोनों आरोपी उत्तरी दिशा से आये थे। अभियुक्त लाला राम ने अभियुक्त राम सिंह को पीडब्लू-1 को यह कहकर मारने के लिए उकसाया कि वह बहुत परेशान कर रहा है। राम सिंह ने तुरंत अपने देशी कट्टे से गोली चला दी। गोली राधे लाल पीडब्लू-1 को नहीं लगी बल्कि उसकी माँ के बाएँ सीने में लगी जिसकी मृत्यु हो गई।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

11.1. अपनी जिरह में, उन्होंने कहा कि उन्होंने आरोपी राम सिंह को आरोपी लाला राम द्वारा पीडब्लू-1 को चुनौती देने से पहले देखा था। उन्होंने यह नहीं देखा कि राम सिंह क्या ले जा रहा था और न ही उसके हाथ में कोई देशी कट्टा दिखा। यह कहना गलत होगा कि उसने राम सिंह के हाथ में देशी पिस्तौल देखी थी। पुलिस उपनिरीक्षक ने उससे पूछताछ नहीं की थी। जब अदालत में उनसे पूछताछ की गई, तो उन्होंने स्वीकार किया कि गांव के निर्वाचित प्रधान और आरोपियों के बीच दलगत राजनीति थी। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि उन्होंने ऐसी कोई घटना नहीं देखी है और ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं है।

12. पीडब्लू-4 पुलिस उपनिरीक्षक बी.डी. वर्मा हैं। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट तैयार करते समय मृतका के घाव से एक *टिकली* और 12 छर्रे जब्त किए गए थे। उन्होंने सादी और रक्तंजित मिट्टी के डिब्बे और मृतका के खून से सने कपड़े भी जब्त कर लिए। खून से सने कपड़े और मिट्टी के डिब्बे रासायनिक जांच के लिए केमिकल परीक्षक के पास भेजे गए लेकिन रिपोर्ट वापस नहीं मिली। उन्होंने आगे कहा कि जांच रिपोर्ट तैयार करने के दौरान, चारपाई पर दुल्ली के घाव से एक *टिकली* और 12 छर्रे जब्त किये गए। हालांकि दोबारा जांच में उन्होंने बताया कि अस्पताल में डॉक्टर द्वारा निकाले गए छर्रे कोर्ट में पेश किए गए थे। अस्पताल में मृतका के शरीर से जो *टिकली* निकाली गई, उसमें छर्रे लगे हुए थे।

13. पीडब्लू-5 रघु राज सिंह है जो गांव का प्रधान था। जांच रिपोर्ट उनकी उपस्थिति में तैयार की गई थी और उस पर उनके हस्ताक्षर थे। उन्होंने बताया कि घटनास्थल से खून से सनी चारपाई की पट्टियां, खाली कारतूस, *टिकली* और छर्रे बरामद किये गये हैं।

13.1. जिरह में उसने बताया कि वह दुल्ली के घर से 150 कदम की दूरी पर रहता था। गोली चलने की आवाज सुनकर उसे दुल्ली की मौत की जानकारी हुई लेकिन वह डर के मारे घर से बाहर नहीं निकला। हालांकि, उन्होंने अपने ही बयान का खंडन करते हुए कहा कि वे गोली की आवाज से यह नहीं बता पाए कि दुल्ली की मृत्यु हो गयी है, बल्कि उन्हें इसकी जानकारी 10-15 मिनट बाद मिली, जब गांव के ही राजा राम पुत्र प्रहलाद यादव ने भागते हुए उन्हें इसकी जानकारी दी। उन्होंने यह कहकर असंगतता को और बढ़ा दिया कि उन्होंने सब-इंस्पेक्टर को गोली चलने की आवाज सुनने के बारे में नहीं बताया, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं था।

14. पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर डॉ. पी.एस. मिश्रा से पीडब्लू-6 के रूप में पूछताछ की गई। उन्होंने कहा कि गोली के छर्रे का प्रवेश घाव 4 सेमी × 3 सेमी बाएं स्तन के बाईं ओर था। अंदर किनारे काले पड़ गए थे। घाव हड्डी तक गहरा था। सीने के बाईं ओर की तीसरी और चौथी पसलियां टूट गईं। बाएं फेफड़े पर घाव था। दोनों फेफड़ों में खून था। दिल भी जख्मी हो गया था। मृतका के पेट में अधपचा चावल व दाल मिला। उन्होंने कहा कि मृतका की मृत्यु का कारण उपरोक्त चोटों के कारण सदमा और रक्तस्राव था। पोस्टमार्टम के दौरान मृतका के शरीर से 55 छोटे छर्रे निकाले गए।

15. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सी.आर.पी.सी.) की धारा 313 के तहत अपनी जांच के दौरान, आरोपी राम सिंह ने इस आरोप से इनकार किया कि उसने देशी कट्टे से गोली मारकर मृतका की हत्या की थी। उन्होंने बताया कि पीडब्लू-1 के बेटे और उनके बीच प्रधानी के चुनाव को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके लिए आपराधिक मामले लंबित हैं। गवाह रंजिश के चलते उनके खिलाफ गवाही दे रहे हैं।

16. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम उल्लेख कर सकते हैं कि जब्ती मेमो दिनांक 20.08.1982 में, जिसे रिकॉर्ड पर रखा गया है, यह कहा गया था कि मृतका की जांच रिपोर्ट की तैयारी के दौरान, पुलिस ने फंसी हुई

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कारतूस की टिकली को जब्त कर लिया था। मृतका के घाव और चारपाई पर पड़ी पट्टियों पर 12 बोर का कारतूस लगा है।

17. अभियोजन साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच से पता चला कि पीडब्लू-1 अपने भाई देशराज के साथ पीडब्लू-1 के घर के सामने आंगन में पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 के साथ बातचीत कर रहे थे। पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 एक चारपाई पर बैठे थे। मृतका दूसरी चारपाई पर बैठी थी। इसके बाद गवाहों के बयान में विसंगतियां सामने आती हैं। एक समय पर, पीडब्लू-1 ने कहा कि वह अपने दरवाजे पर था; एक अन्य बिंदु पर उसने कहा कि वह और उनका भाई देशराज उसी चारपाई पर बैठे थे जिस पर उनकी मां बैठी थीं लेकिन चारपाई के दूसरे छोर पर थीं। फिर उसने कहा कि दोनों भाई फर्श पर बैठे थे। यह भी रिकॉर्ड में आया है कि अभियोजन पक्ष के कुछ गवाहों के अनुसार, पीडब्लू 1 और उसका भाई देश राज फर्श पर बैठे थे। यहां एक क्षण रुककर हम दृश्य रूप से विश्लेषण कर सकते हैं कि मां अपने दोनों बेटों से कुछ दूरी पर चारपाई पर बैठी थी। वह अपने दोनों बेटों के पीछे नहीं बल्कि पार्श्व में बैठी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों अभियुक्त उत्तर की ओर से आए और जब वे ईंटों के ढेर के पास पहुँचे तो अभियुक्त लाला राम ने अभियुक्त राम सिंह को उकसाया कि पीडब्लू-1 बहुत परेशान कर रहा है, इसलिए उसे मार दिया जाना चाहिए। राम सिंह फिर 2-3 कदम आगे बढ़ा और पीडब्लू-1 पर गोली चला दी। अब पीडब्लू-1 का कहना है कि उसने खुद को चारपाई के नीचे छिपा लिया था; जबकि दूसरा बयान यह है कि जब वह फर्श पर बैठा था तो वह बस झुक गया था। दूसरी ओर, पीडब्लू-2 ने अपनी जिरह में कहा था कि जब गोली चलाई गई, तो पीडब्लू-1 और उसका भाई देशराज खड़े हो गए। अभियोजन पक्ष का कहना है कि राम सिंह ने पीडब्लू-1 को गोली मारी थी, लेकिन पीडब्लू-1 की टालमटोल वाली प्रतिक्रिया के कारण, राम सिंह द्वारा अपने देशी कट्टे से चलाई गई गोली मृतका के बाएं सीने में लगी, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई।

18. यदि इस बयान पर विश्वास किया जाए, तो राम सिंह ने पीडब्लू-1 पर नजदीक से और खड़े होकर गोली चलाई थी। इसलिए, शॉट का प्रक्षेपवक्र ऊंचाई से नीचे की ओर होगा। पीडब्लू-1 या तो चारपाई पर या फर्श पर बैठा था और उसने टालमटोल की कार्रवाई की थी (हालाँकि पीडब्लू-2 का कहना है कि गोली चलने पर पीडब्लू-1 खड़ा हो गया था); माँ चारपाई के दूसरे छोर पर तिरछी बैठी थी। यह बेहद असंभव है कि गोली इतने करीब से और ऊंचाई से नीचे की ओर चलाई गई, जो मृतका के बाएं स्तन पर लगी हो, जो पीडब्लू 1 के पीछे नहीं, बल्कि पार्श्व दूरी पर बैठी थी।

19. दिलचस्प बात यह है कि न तो पीडब्लू-1 के भाई और मृतका के बेटे देश राज से, जो घटना के समय और स्थान पर मौजूद था, पुलिस ने पूछताछ की और न ही दूसरे भाई सुंदर लाल, मुंशी, जिसने यह मामला लिखा था, से पूछताछ की गई। प्रथम सूचना पर पुलिस द्वारा जांच की गई। अभियोजन पक्ष द्वारा देश राज से पूछताछ न करना सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना के समय वह वहां मौजूद था। आपको बता दें कि सुंदर लाल का व्यवहार भी बेहद असामान्य है। वह पीडब्लू-1 के साथ पुलिस स्टेशन नहीं गया। इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि वह घटनास्थल पर गया था जहां उसकी मां की हत्या हुई थी। महत्वपूर्ण गवाहों की जांच नहीं करने के लिए अभियोजन पक्ष के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना होगा। जो भी हो, केवल पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 ने ही कहा था कि राम सिंह ने पीडब्लू-1 पर देशी कट्टे से गोली चलाई थी, लेकिन गोली पीडब्लू-1 की माँ को लग गई थी, जिसकी गोली लगने से मृत्यु हो गई थी। दूसरी ओर, पीडब्लू-3 ने स्पष्ट

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

रूप से कहा कि उसने आरोपी राम सिंह को कोई देशी कट्टा ले जाते हुए नहीं देखा। इसके अलावा, यह भी रिकार्ड में आया है कि पी.डब्लू.-1 और अभियुक्त के बीच ग्राम प्रधान के चुनाव को लेकर पूर्व से ही दुश्मनी थी, जिसके कारण उनके बीच क्रॉस केस चल रहे थे।

20. पीडब्लू-5 के रूप में गवाही देने वाले ग्राम प्रधान ने कहा कि जब उसने गोलियों की आवाज सुनी तो वह अपने घर के अंदर था। करीब 10 से 15 मिनट बाद उसे पता चला कि दुल्ली की हत्या कर दी गयी, जब वह भाग रहा था तो प्रहलाद यादव के बेटे राजा राम ने उसे यह बात बतायी। संयोगवश, उक्त राजाराम से पुलिस द्वारा पूछताछ नहीं की गयी।

21. इस स्तर पर, जो बात ध्यान देने योग्य है वह यह है कि अपराध का हथियार अर्थात् आरोपी द्वारा अपराध में प्रयुक्त देशी कट्टा, पुलिस द्वारा बरामद नहीं किया जा सका और इसलिए उसे प्रदर्शित नहीं किया जा सका। इस प्रकार, मुख्य भौतिक साक्ष्य यानी अपराध के हथियार का प्रदर्शन नहीं किया गया। जब्ती मेमो में बताया गया कि चारपाई पर एक 12 बोर का कारतूस पड़ा हुआ था तथा मृतका के घाव पर लगे कारतूस की *टिकली* को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। उधर, डॉक्टर पीडब्लू-6 की गवाही में और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह बात रिकार्ड में आई है कि पोस्टमार्टम के दौरान मृतका के शरीर से 55 छोटे छर्रे निकाले गए थे। गोली का घाव हड्डी तक गहरा था जिससे साफ पता चलता है कि मृतका को नजदीक से गोली मारी गई है। अपने साक्ष्य में, पीडब्लू-4 उप-निरीक्षक बी.डी. वर्मा ने बताया कि जांच रिपोर्ट तैयार करने के दौरान मृतका के घाव से एक *टिकली* और 12 छर्रे जब्त किए गए थे। कारतूस के छर्रे और *टिकली* किसी भी बैलिस्टिक विशेषज्ञ के पास नहीं भेजे गए थे, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी कोई बैलिस्टिक रिपोर्ट नहीं है जिसके आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सके कि छर्रे शरीर के बाहर और भीतर से मिले हैं। शव का पता 12 बोर कारतूस की *टिकली* से लगाया जा सकता है, जो बदले में उस देशी कट्टे से पता लगाया जा सकता है, जिससे कथित तौर पर अपीलकर्ता द्वारा गोली चलाई गई थी। पोस्टमार्टम के दौरान मृतका के शरीर से निकाले गए 55 छर्रे के संबंध में अभियोजन पक्ष का कोई स्पष्टीकरण नहीं है; क्या इन्हें 12 बोर कारतूस और *टिकली* से जोड़ा जा सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि देशी कट्टा कभी बरामद नहीं हुआ। अभियोजन पक्ष ने इस संबंध में कुछ नहीं कहा है। इसके अलावा, पीडब्लू-4 के बयान के अनुसार, मृतका के खून से सने कपड़े जो जब्त किए गए थे, उन्हें रासायनिक परीक्षक के पास भेजा गया था, लेकिन उनके बयान की तारीख और समय तक रासायनिक परीक्षक से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी।

22. उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष के बयान में स्पष्ट विसंगतियां हैं जो महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही की अनुपस्थिति और बैलिस्टिक रिपोर्ट के साथ-साथ अपराध के हथियार की गैर-बरामदगी के कारण बढ़ गई हैं।

केस लॉ

23. *मुन्ना लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2023) एससीसी ऑनलाइन एससी 80* में, इस न्यायालय ने कहा कि चूंकि उस मामले में कोई अपराध का हथियार जब्त नहीं किया गया था, इसलिए कोई बैलिस्टिक रिपोर्ट नहीं मांगी गई और प्राप्त नहीं की गई। इस न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अपराध के हथियार को जब्त करने में विफलता से अभियोजन पक्ष की कहानी पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि इसके साथ ही महत्वपूर्ण गवाहों की जांच न करना भी अपीलकर्ताओं को संदेह का लाभ प्रदान करने के लिए अन्य बातों के अलावा एक महत्वपूर्ण परिस्थिति बन गई।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

24. बैलिस्टिक विशेषज्ञ की जांच न किए जाने और अभियोजन मामले पर इसके प्रभाव के पहलू पर, इस न्यायालय का सबसे पहला निर्णय *गुरुचरण सिंह बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1963 एससी 340* में दिया गया था। इस न्यायालय ने कहा कि ऐसा कोई कठोर नियम नहीं है कि प्रत्येक मामले में जहां किसी अभियुक्त पर घातक हथियार से हत्या का आरोप लगाया जाता है, अभियोजन पक्ष आरोप को साबित करने में तभी सफल हो सकता है जब किसी विशेषज्ञ से जांच की जाए। ऐसे मामलों की कल्पना करना संभव है जहां प्रत्यक्ष साक्ष्य इतने निर्विवाद चरित्र के हों और पोस्टमार्टम नोट्स द्वारा बताई गई चोटों की प्रकृति प्रत्यक्ष साक्ष्य के साथ इतनी स्पष्ट रूप से सुसंगत हो कि बैलिस्टिक विशेषज्ञ की जांच को आवश्यक नहीं माना जा सकता है। जहां प्रत्यक्ष साक्ष्य संतोषप्रद या निष्पक्ष न हो या जहां यह आरोप लगाया गया हो कि चोटें बंदूक से आई हैं और प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि चोटें राइफल से आई हैं, वहां निस्संदेह स्पष्ट असंगति को ठीक किया जा सकता है या बैलिस्टिक विशेषज्ञ के साक्ष्य के माध्यम से मौखिक साक्ष्य की पुष्टि की जा सकती है। हालाँकि, किन मामलों में अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने के लिए बैलिस्टिक विशेषज्ञ की जांच आवश्यक है, यह स्वाभाविक रूप से प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

41.... इन टिप्पणियों का उद्देश्य यह कठोर नियम स्थापित करना नहीं है कि प्रत्येक मामले में जहां किसी अभियुक्त पर घातक हथियार से हत्या का आरोप लगाया जाता है, अभियोजन पक्ष आरोप को साबित करने में तभी सफल हो सकता है जब किसी विशेषज्ञ से जांच की जाए। ऐसे मामलों की कल्पना करना संभव है जहां प्रत्यक्ष साक्ष्य इतने निर्विवाद चरित्र के हों और पोस्टमार्टम नोट्स द्वारा बताई गई चोटों की प्रकृति प्रत्यक्ष साक्ष्य के साथ इतनी स्पष्ट रूप से सुसंगत हो कि बैलिस्टिक विशेषज्ञ की जांच को आवश्यक नहीं माना जा सकता है। जहां प्रत्यक्ष साक्ष्य संतोषप्रद या निष्पक्ष न हो या जहां यह आरोप लगाया गया हो कि चोटें बंदूक से पहुंचाई गई हैं और प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि वे राइफल से पहुंचाई गई हैं, वहां निस्संदेह स्पष्ट असंगति को ठीक किया जा सकता है या बैलिस्टिक विशेषज्ञ के साक्ष्य के माध्यम से मौखिक साक्ष्य की पुष्टि की जा सकती है। किन मामलों में अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने के लिए बैलिस्टिक विशेषज्ञ की परीक्षा आवश्यक है, यह स्वाभाविक रूप से प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा...।”

25. इस मुद्दे की इस न्यायालय द्वारा सुखवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1995) 3 एससीसी 367 में पुनः जांच की गई। उस मामले में, इस न्यायालय ने पाया कि यद्यपि पुलिस ने घटनास्थल से एक खाली कारतूस बरामद किया था और अपीलकर्ता की गिरफ्तारी के समय उसके कब्जे से एक पिस्तौल तथा कुछ कारतूस जब्त किए गए थे, फिर भी अभियोजन पक्ष ने बरामद खाली कारतूस और जब्त पिस्तौल को जांच और विशेषज्ञ राय के लिए बैलिस्टिक विशेषज्ञ के पास नहीं भेजा। इस न्यायालय का विचार था कि यदि ऐसी राय मांगी गई होती तो तुलना की जा सकती थी, जिससे अपराध और अभियुक्त के बीच संबंध स्थापित करने वाला साक्ष्य उपलब्ध हो सकता था। यह नोट किया गया कि यह भी अभियोजन पक्ष की ओर से एक चूक थी जिसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इसके बाद इस न्यायालय ने निम्नलिखित घोषणा की:

21.... इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे मामलों में जहां आग्रेयास्त्रों के कारण चोटें आती हैं, वहां बैलिस्टिक विशेषज्ञ की राय काफी महत्वपूर्ण होती है, जहां जांच के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

दौरान आग्रेयास्त्र और कारतूस दोनों बरामद किए जाते हैं, ताकि आरोपी को अपराध से जोड़ा जा सके। ऐसे मामलों में ट्रायल कोर्ट के समक्ष विशेषज्ञ की राय प्रस्तुत न करने से अभियोजन पक्ष के मामले की विश्वसनीयता काफी हद तक प्रभावित होती है।

25.1. इस प्रकार, उपरोक्त मामले में, इस न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे मामलों में जहां चोटें आग्रेयास्त्रों के कारण होती हैं, जांच के दौरान बरामद अपराध कारतूस को आरोपी द्वारा अपराध के साथ इस्तेमाल किए गए आग्रेयास्त्र से जोड़ने के लिए बैलिस्टिक विशेषज्ञ की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे मामलों में विशेषज्ञ की राय प्रस्तुत करने में विफलता अभियोजन पक्ष की साख को काफी हद तक प्रभावित करती है।

26. हालाँकि, *पंजाब राज्य बनाम जुगराज सिंह, (2002) 3 एससीसी 234* में, इस न्यायालय ने कहा कि जब प्रत्यक्षदर्शियों के ठोस सबूत मौजूद हों, तो विशेषज्ञ से पूछताछ न करने से प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताए गए बयान की विश्वसनीयता पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

27. इस न्यायालय ने गुलाब बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2022) 12 एससीसी 677 में अपराध के हथियार को बरामद करने में अभियोजन पक्ष की विफलता और बैलिस्टिक विशेषज्ञ की जांच न करने के मुद्दे पर विचार किया। उस मामले में, मृतका को प्रवेश और निकास के बिंदु पर बंदूक की गोली से चोट लगी थी। उस मामले में, अभियोजन पक्ष ने तीन चश्मदीदों के चश्मदीद गवाहों के बयानों पर भरोसा किया था जो विश्वसनीय पाए गए थे। इसलिए, अपराध के हथियार की बरामदगी न होने से अभियोजन पक्ष का मामला बदनाम नहीं होगा। उस मामले में अभियोजन पक्ष ने तीन प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों पर भरोसा किया था, जो विश्वसनीय पाए गए। इसलिए, अपराध के हथियार की बरामदगी न होने से अभियोजन पक्ष का मामला बदनाम नहीं होगा। पिछले निर्णयों का संदर्भ देने के बाद, इस न्यायालय ने यह राय व्यक्त की कि मामले के तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर, किसी बैलिस्टिक विशेषज्ञ द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफलता, जो किसी विशेष हथियार से होने वाली घातक चोटों की गवाही दे सके, प्रत्यक्ष गवाहों के विश्वसनीय साक्ष्य को खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी।

28. *प्रीतिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2023) 7 एससीसी 727* में, इस न्यायालय ने मामले के तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर माना कि दोषसिद्धि कायम नहीं रह सकती। इसके अलावा, इस बारे में कोई सबूत इकट्ठा नहीं करने के अलावा कि अपराध में इस्तेमाल की गई पिस्तौल अपीलकर्ता की थी या नहीं, यहां तक कि यह दिखाने के लिए बैलिस्टिक विशेषज्ञ की भी जांच नहीं की गई थी कि बंदूक और छरों को अपीलकर्ता के खाली कारतूसों से चलाया गया था। उस मामले में, जो परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित था, यह माना गया कि जब गवाहों की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह हो, तो बैलिस्टिक विशेषज्ञ से जांच करने में विफलता अभियोजन पक्ष के मामले में एक गंभीर दोष होगी।

29. इस प्रकार, उपरोक्त से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अपराध के हथियार की बरामदगी न होना अभियोजन मामले के लिए घातक नहीं होगा। जब ऐसी गैर-बरामदगी होगी, तो जांच के दौरान जब्त किए गए खाली कारतूस और छरों को कथित तौर पर अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियार से जोड़ने का कोई सवाल ही नहीं होगा। बैलिस्टिक रिपोर्ट प्राप्त करना और बैलिस्टिक विशेषज्ञ की जांच फिर से कोई लचीला नियम नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर उस मामले में जहां पीड़िता की मौत बंदूक की गोली से हुई हो, बैलिस्टिक विशेषज्ञ की राय ली जानी चाहिए और विशेषज्ञ से जांच की जानी चाहिए। जब प्रत्यक्ष प्रत्यक्षदर्शी का बयान विश्वसनीय पाया जाता

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

है, तो बैलिस्टिक रिपोर्ट प्राप्त करने में चूक और बैलिस्टिक विशेषज्ञ की जांच न करना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं हो सकता है लेकिन यदि प्रस्तुत साक्ष्य, जिसमें प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य भी शामिल हैं, विश्वास पैदा नहीं करते हैं या उनमें स्पष्ट विसंगतियां हैं, साथ ही महत्वपूर्ण गवाहों की जांच करने में चूक हुई है, तो बैलिस्टिक राय लेने और बैलिस्टिक विशेषज्ञ की जांच करने में चूक अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक हो सकती है।

30. उपरोक्त प्रस्ताव को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करने पर, हम पाते हैं कि प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा दिए गए साक्ष्य गंभीर खामियों से ग्रस्त हैं। अतः उनके साक्ष्य विश्वसनीय नहीं कहे जा सकते। इसके अलावा, महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ नहीं की गई है। कुल मिलाकर, अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य को पूर्ण प्रमाण नहीं कहा जा सकता है, इसलिए अपराध के हथियार की बरामदगी न होना, बैलिस्टिक राय न प्राप्त करना और बैलिस्टिक विशेषज्ञ की जांच न करना महत्वहीन होगा।

31. ऐसी परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के खिलाफ सभी उचित संदेह से परे आरोप साबित कर सकता है। दरअसल, सबूतों के एक ही समूह पर, विचारण न्यायालय ने अन्य आरोपी लाला राम को मुख्य रूप से इस आधार पर संदेह का लाभ दिया कि आरोपी और पीडब्लू-1 के बीच दुश्मनी थी।

32. इस न्यायालय ने जावेद शौकत अली कुरैशी के मामले में यह माना है कि जब दो आरोपियों के विरुद्ध प्रत्यक्षदर्शियों के समान या एक जैसे साक्ष्य हों, तो उन्हें एक ही या समान भूमिका बताते हुए न्यायालय एक आरोपी को दोषी नहीं ठहरा सकता और दूसरे को बरी नहीं कर सकता। इस न्यायालय ने निम्नानुसार स्पष्ट किया:

15. जब दो अभियुक्तों के विरुद्ध प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य समान या एक जैसे हों, तो न्यायालय एक अभियुक्त को दोषी तथा दूसरे को बरी नहीं कर सकता। ऐसे मामले में, दोनों आरोपियों के मामले समानता के सिद्धांत द्वारा शासित होंगे। इस सिद्धांत का अर्थ यह है कि आपराधिक अदालत को समान मामलों में एक जैसा निर्णय करना चाहिए तथा ऐसे मामलों में अदालत दो आरोपियों के बीच अंतर नहीं कर सकती, जो भेदभाव के समान होगा।

निष्कर्ष

33. इस प्रकार, रिकॉर्ड पर साक्ष्य के सावधानीपूर्वक विश्लेषण पर, हमारा विचार है कि अपीलकर्ता को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए क्योंकि हमारे अनुसार, अभियोजन पक्ष सभी युक्तियुक्त संदेह से परे अपना अपराध साबित नहीं कर सका। जिस अपराध को करने का आरोपी पर आरोप है, उसमें उसकी संलिप्तता के बारे में कोई भी संदेह अदालत के विचार में होना चाहिए और ऐसी स्थिति में, आरोपी को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। ऐसा तब और अधिक होता है जब सह-अभियुक्त को विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य के एक ही सेट पर बरी किया जाता है।

34. ऐसी स्थिति में, हम अभियुक्त की दोषसिद्धि और सजा को रद्द करते हैं। अपर सत्र न्यायालय के दिनांक 28.05.1983 के निर्णय और आदेश के साथ-साथ उच्च न्यायालय के दिनांक 05.02.2018 के निर्णय और आदेश को अपास्त और रद्द किया जाता है। परिणामस्वरूप, यदि किसी अन्य मामले में इसकी आवश्यकता न हो, तो अपीलकर्ता को तत्काल जेल से रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

35. उपरोक्त शर्तों में अपील की अनुमति दी जाती है।

हेडनोट्स तैयार किया गया: दिव्या पांडे

वाद का परिणाम:

अपील को अनुमति दी गई

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।